भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 245

गुरुवार, दिनांक 08 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-कुसुम का क्रियान्वयन</u>

245. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्री कुलदीप राय शर्मा: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) को सफलतापूर्वक लागू कर रही है और यदि हां, तो इसके तहत इसकी शुरुआत के बाद निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएम-कुसुम को लागू करने में सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पीएम-कुसुम के अंतर्गत महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कुल कितने सौर जल पंप स्थापित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के किसानों को पीएम-कुसुम का लाभ देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएम-कुसुम के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने देश के सौर जल पंप विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन का विकेंद्रीकरण करने के लिए अन्य कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) पीएम-कुसुम योजना के घटक-क के तहत प्रत्येक 2 मेगावाट क्षमता तक के ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के जरिए 10,000 मेगावाट क्षमता हासिल करने और घटक-ख तथा ग के तहत 35 लाख कृषि पंपों का सौरीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम-कुसुम एक मांग-आधारित योजना है और राज्यों से प्राप्त मांग के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है। दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, योजना के घटक-क के तहत 4886 मेगावाट क्षमता के कुल आवंटन की तुलना में 73.45 मेगावाट की समग्र सौर क्षमता स्थापित की गई है और योजना के तहत 33.5 लाख पंपों के आवंटन की तुलना में लगभग 1.52 लाख से अधिक कृषि पंपों का सौरीकरण किए जाने की सूचना दी गई है।

(ख) किसानों के लिए सस्ती दरों पर वित्त पोषण की उपलब्धता और निधियों का राज्य अंश पीएम-कुसुम योजना के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौती है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड-19 महामारी के दौरान कार्यान्वयन की गति काफी प्रभावित रही।

(ग) दिनांक 31.10.2022 तक, पीएम-कुसुम योजना के घटक-ख के तहत, महाराष्ट्र राज्य में कुल 21,499 स्टैंड-अलोन सौर पंप और तमिलनाडु राज्य में 2242 स्टैंड-अलोन सौर पंप स्थापित कर दिए जाने की सूचना दी गई है। राज्यों में योजना के घटक-ग के तहत, किसी मौजूदा ग्रिड-संबद्ध कृषि पंप का सौरीकरण किए जाने की सूचना नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त, मांग प्राप्त नहीं होने के कारण योजना के तहत अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कोई क्षमता आवंटित नहीं की जा सकी।

(घ) पीएम-कुसुम योजना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन ऐजेंसियों को लाभार्थियों का चयन करते समय लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता देनी होती है। साथ ही, योजना के तहत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित लाभार्थियों और साथ ही, पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों के लिए अलग से बजट आवंटन किया जाता है। इसलिए, योजना के तहत लाभ देश के आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों/क्षेत्रों को पहले से ही उपलब्ध है।

(ङ) दिनांक 08.03.2019 को पीएम-कुसुम योजना की शुरुआत से लेकर दिनांक 31.10.2022 तक, पीएम-कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य में कुल 21,499 किसानों और तमिलनाडु राज्य में कुल 2242 किसानों को लाभ मिला है। संघ राज्य क्षेत्र से मांग प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में किसी किसान को लाभ प्राप्त नहीं हो सका।

(च) देश की सोलर वाटर पंप निर्माण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से पीएम-कुसुम योजना के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं: (i) योजना के तहत, केन्द्रीय वित्तीय सहायता के जरिए 35 लाख पंपों की स्थापना अथवा सौरीकरण के लक्ष्य से आने वाले वर्षों में मांग दिखाई देती है (ii) घटक-ख और घटक-ग में भागीदारी के लिए स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता की शर्त (iii) घटक-ख और घटक-ग के तहत बोली प्रक्रिया में एकल बोली दाता अथवा संयुक्त उद्यम के सदस्य के रूप में सोलर पंप/सोलर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल/सोलर पंप कंट्रोलर के निर्माताओं की सीधी भागीदारी।

(छ) इस समय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विकेन्द्रीकृत सौर विद्युत उत्पादन के लिए 2 मुख्य योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें शामिल है: (i) पीएम-कुसुम योजना के घटक-क के तहत प्रत्येक 2 मेगावाट क्षमता के ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के जरिए 10,000 मेगावाट क्षमता हासिल करने और घटक-ख और ग के तहत 35 लाख कृषि पंपों के सौरीकरण का लक्ष्य रखा गया है; और (ii) रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II के तहत देश में 40 गीगावाट रूफटॉप सौर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों योजनाओं की समय-सीमा दिनांक 31.03.2026 तक बढ़ाई गई है।

*****